सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़, 1943 (श०)

संख्या- 365 राँची, गुरुवार, 22 जुलाई, 2021 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

कार्यालय आदेश

13 अप्रैल, 2021

संख्या-09/आरोप-सरायकेला-खरसावाँ-75/2019-*1778*-(09)--श्री उज्जवल मिंज, जिला अवर निबंधक, सरायकेला-खरसावाँ के विरूद्ध उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-555, दिनांक-21.08.2019 के द्वारा आरोप प्रपत्र-'क' विभाग को प्राप्त हुआ। श्री मिंज के विरूद्ध जिला अवर निबंधन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ (विभाग/कार्यालय) के अधीन जिला अवर निबंधक के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-289/सा०, दिनांक-11.05.2018 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिबंधित सूची में अंकित कुल-17 दस्तावेजों का निबंधन दिनांक-22.06.2015 के बाद (प्रतिबंधित सूची प्राप्त होने के बाद) निबंधन करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। श्री मिंज द्वारा सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 (i) (ii) एवं (iii) के प्रावधानानुसार सरकारी सेवक के पूरी शीलनिष्ठा एवं कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा का पालन नहीं किये जाने का आरोप लगाया गया ।

आरोप प्रपत्र-'क' के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-3940, दिनांक-21.10.2019 द्वारा श्री मिंज से स्पष्टीकरण की मांग की गयी ।

श्री मिंज द्वारा उनके पत्रांक-285, दिनांक-16.11.2019 द्वारा विभाग को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । समर्पित स्पष्टीकरण में श्री मिंज द्वारा स्पष्ट किया गया कि दिनांक-31.12.2015 के पूर्व उनके द्वारा कुल-12 दस्तावेजों का निबंधन किया गया है ।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रतिबंधित सूची प्राप्त नहीं होने के कारण निबंधन के लिए प्रस्तुत विलेखों में संलग्न शुद्धि पत्र, मालगुजारी रसीद एवं नगर पर्षद कार्यालय, आदित्यपुर द्वारा अपार्टमेंट निर्माण हेतु आदेश (परमिट) के आधार पर वर्णित विलेखों का निबंधन किया गया था ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत अधिसूचना ज्ञापांक-195, दिनांक-29.02.2016 भी यह पुष्टि करता है कि कंडिका-1 के अनुसार खतियान उपलब्ध नहीं होने पर निबंधनार्थियों द्वारा निबंधन हेतु पंजी-II अथवा भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र अथवा शुद्धि पत्र किया जा सकता है । कंडिका-6 में यह स्पष्ट किया गया है कि पंजी-II/शुद्धि पत्र/ भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र उपलब्ध होने पर निबंधन पदाधिकारी के द्वारा अविलंब निबंधन किया जायेगा । ऐसी परिस्थिति में विलेख का निबंधन करना अनिवार्य होता है तथा उस विलेख को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं होता है ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०-1/1132, दिनांक-26.08.2015 से स्पष्ट है कि सरकारी भूमि जो कि विभिन्न पदाधिकारियों के स्तर से निबंधन पदाधिकारी को संसूचित किया गया हो, हस्तांतरण विलेख के निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा-22 (क) के अधीन लोकनीति के विरूद्ध घोषित किया गया है ।

श्री मिंज के अनुसार गम्हरिया अंचल से प्राप्त प्रतिबंधित सूची ज्ञापांक-935, दिनांक-22.06.2015 जिला निबंधन कार्यालय को दिनांक-31.12.2005 को प्राप्त हुई थी। प्रतिबंधित सूची अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित न होकर For/वास्ते कर के किसी अन्य कर्मी द्वारा हस्ताक्षरित है । तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा पत्रांक- 1303, दिनांक- 09.07.2018 द्वारा स्वीकार किया गया है कि ज्ञापांक-935, दिनांक-22.06.2015 के पावती कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। श्री मिंज द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में विभिन्न नियम अधिनियम, सरकार के आदेश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को संलग्न करते हुए उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा निबंधन का कार्य नियमानुकूल किया गया है । अंचल कार्यालय, गम्हरिया का ज्ञापांक-935, दिनांक-22.06.2015 द्वारा प्रेषित प्रतिबंधित भूमि की सूची निबंधन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ को दिनांक-31.12.2015 को प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा सभी निबंधन कार्य दिनांक-31.12.2015 में पूर्व किया गया है। अतएव उनके द्वारा 12 दस्तावेजों के निबंधन का कार्य जानबुझ कर नहीं किया गया है और उनपर लगाया आरोप आधारहीन, असंगत और तथ्य से परे है ।

श्री मिंज के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ का मंतव्य विभागीय पत्रांक-291, दिनांक-22.01.2020 द्वारा माँगा जिसके आलोक में उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-05(ए०), दिनांक-15.05.2020 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया । मंतव्य प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि समीक्षोपरांत पाया गया है कि दस्तावेज में वर्णित भूमि का निबंधन के पूर्व राजस्व खतियान से जाँच नहीं किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है एवं इस बिन्दु पर निबंधन पदाधिकारी के द्वारा लापरवाही बरती गई है । साथ ही उक्त भूमि के निबंधन में यदि किसी प्रकार का कोई संदेह था तो राजस्व विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् ही निबंधन किया जाना चाहिए था। अतः श्री उज्जवल मिंज, जिला निबंधन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है ।

उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के मंतव्य पर निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्त किया गया । निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रतिबंधित सूची निबंधन कार्यालय को दिनांक-31.12.2015 को मिली है जबकि अंचल अधिकारी द्वारा यह पत्र दिनांक-22.06.2015 को निर्गत किया गया था । इस संबंध में सर्वप्रथम उपायुक्त के माध्यम से सूचना प्राप्त करना श्रेष्यकर होगा कि प्रतिबंधित सूची अंचल अधिकारी/अपर समाहर्त्ता/उपायुक्त कार्यालय द्वारा किस तिथि को निबंधन कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है तथा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने अथवा न करने का निर्णय लिया जाना उचित होगा ।

निबंधन महानिरीक्षक के मंतव्य के आलोक में उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ से पुनः वस्तुस्थिति स्पष्ट कर मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक-2299, दिनांक-08.09.2020 प्रेषित किया गया। उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-51/स्था०, दिनांक-27.01.2021 द्वारा मंतव्य दिया गया कि श्री मिंज द्वारा प्रतिबंधित सूची प्राप्त होने की सूचना प्राप्त नहीं होने का प्रतिवेदन सही है तथा श्री मिंज द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है । इस प्रकार विभाग को समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है । उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के मंतव्य तथा संबंधित जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय निर्णयानुसार श्री उज्जवल मिंज जिला अवर निबंधक, सरायकेला-खरसावाँ को आरोप-मुक्त किया जाता है ।

उपरोक्त प्रस्ताव माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

अभिषेक श्रीवास्तव,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 365 - 50